

1549 hours

**JHARKHAND PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT)
BILL**

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up item No. 13, Dr. C.P. Joshi.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (DR. C.P. JOSHI): Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001, be taken into consideration.”

सभापति महोदय, सत्ता के विकेंद्रीकरण करने का 73 अमेंडमेंट लागू होने के बाद झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, जहां हम चुनाव सम्पादित नहीं कर सके। उस एक्ट में प्रोविजन किया गया कि शेड्यूल्ड कास्ट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी महिलाओं को रिप्रजेंटेशन दिया जाएगा। झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड सरकार ने वर्ष 2001 में पंचायत राज एक्ट बनाया। पंचायत राज एक्ट में पेसा, जो वर्ष 1996 में एक एक्ट बना था, उसके कुछ प्रोविजन्स लागू करने थे। उनके अनुरूप जब झारखंड सरकार ने पंचायत राज एक्ट बनाया, कुछ लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने कुछ धाराओं को स्ट्रोक कर दिया।

(n2/1550/asa/kmr)

स्ट्रोक करने के कारण लम्बे समय तक पंचायत के चुनाव वहां नहीं हो सके, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील की और अपील करने के बाद भारत सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसके अनुसार झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2010 में एक बिल लाई। 2010 में जब सरकार बिल लाई, तब वहां सरकार थी लेकिन जब बिल को असेम्बली में लाना था, तब वहां पर असेम्बली भंग हो गई और असेम्बली भंग होने के बाद जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अन्तर्गत यह संसद का अधिकार है कि संसद उस प्रदेश के बारे में बिल बनाए। इसलिए संसद में यह बिल हम ला रहे हैं। उस बिल के पीछे मंशा यह है कि वहां जल्दी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार चुनाव हो सकें। एससी, वीमैन और ओबीसीके लोगों को पंचायत राज में भागीदारी मिल सके और जो लम्बे समय तक एक प्रदेश सत्ता के विकेंद्रीकरण के कारण जिन चीजों से वंचित है, उन चीजों से वंचित नहीं हो सके। इसलिए इस बिल को लाया गया है और हाइ कोर्ट का जो निर्णय था, उस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह बिल उन सब चीजों को एड्रेस कर

Comment: cd.

Comment: Cd by C.P.Joshi

रहा है। “पेसा” एक्ट लागू होने के कारण जो वहां पर 25 जिले हैं, उनमें जिन जिलों में शैड्यूल एरिया डिक्लेअर किया गया है, उस शैड्यूल एरिया के अन्तर्गत चेयर पर्सन वहां के अलग-अलग स्तर पर जो चुनाव हैं, उनमें 50 प्रतिशत रिजर्वेशन वहां पर एसटी का होगा और एसटी के साथ-साथ 50 प्रतिशत महिला भी चेयर पर्सन बन सकेगी, यह प्रावधान भी इसमें किया गया है। जो जनरल कैटेगरी है, उसमें वहां की जो पोपुलेशन है, उसके आधार पर उसमें रिजर्वेशन होगा। उसमें भी 50 प्रतिशत चेयर पर्सन का जो चुनाव है, वह महिलाओं का होगा। पहली बार यह प्रयास किया गया है कि पचास प्रतिशत महिलाओं को हम अधिकार दे रहे हैं। अन्य प्रदेशों में जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहां पर भी 50 प्रतिशत महिलाओं को चुनने का अधिकार दिया गया है। मैं समझता हूं कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन यह जो कानून है, उसके अनुसार लम्बे समय तक वहां के लोगों को जो जिन चीजों से वंचित रह गये थे, उनको अधिकार मिलेगा और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के कारण जो कुछ भी हम योजना बना रहे हैं, उसका पूरा लाभ मिल सकेगा। इसी भावना के साथ मैं माननीय सदस्यों को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब यह बिल झारखंड में प्रस्तुत किया गया था, तब हमारे जो साथी विपक्ष में बैठे हैं, उनके समर्थन से वहां पर मुख्य मंत्री थे। इसलिए आज इसमें कोई बहुत बड़ी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो सदन है, वह इस बात पर एकमत है कि हम इसको पास करें और जल्दी से जल्दी वहां पर चुनाव हो और चुने हुए लोग सत्ता के विकेन्द्रीकरण के कारण जनता की सेवा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को विचार के लिए लिया जाए। धन्यवाद।

(इति)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001, be taken into consideration.”

1553 बजे

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं मंत्री जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि झारखंड की विधान सभा भंग नहीं है, आज की डेट में ससपेंडेड है। आज हम झारखंड राज्य पंचायत संशोधन विधेयक 2010 पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। हम कहना चाहेंगे कि 32 साल बाद बिहार झारखंड जब ज्वाइंट था, 78 में जब चुनाव हुए, उसके बाद आज तक राज्य के निर्माण के बाद भी और झारखंड अलग होने के समय बिहार में 2-2 बार पंचायत का चुनाव हुआ और उसका लाभ भी वहां की जनता को वर्तमान में मिल रहा है। जहां तक महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत की आरक्षण की बात है, वह हमारी बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है, वहां 50 प्रतिशत हमारे नीतीश कुमार जी दे भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि समय-समय पर झारखंड के साथ अन्याय हुआ, जिनको जब समझ में आया, वे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कोई हाइ कोर्ट चले जाते हैं लेकिन झारखंड को जो लाभ मिलना चाहिए और चूंकि वर्ष 1978 के बाद चुनाव नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि बिहार में भी और केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार रही। अब किस कारण से नहीं हुआ, यह सारे लोग जानते हैं और समय समय पर झारखंड में जो वहां की खनिज सम्पदा है, उसके लिए जो व्यवस्था बनी, उसके तहत काम हुआ और सरज़मी पर न कोई प्लॉट लगा, न कोई फैक्टरी लगी।

(o2/1555/sk-spr)

वहां की खनिज संपदा बिचौलियों और माफियाओं के माध्यम से विदेश भी जाती रही है। इस राज्य का नुकसान पूर्ण बहुमत न होने के कारण हुआ है। इससे भी बड़ी बात है कि वर्तमान में भी ऐसी स्थिति बनी है। आज देश में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र दस राज्य ऐसे हैं जहां अपने बजट में पंचायती सैक्टर विंडो उपलब्ध कराया गया है। जम्मू-कश्मीर में स्वयं का पंचायत एक्ट है इसलिए वहां पंचायत चुनाव नहीं कराए जाते हैं। झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेसा 1996 के अलग-अलग क्लॉज का अनुपालन झारखंड पंचायती राज एक्ट के लिए हुआ। पेसा 1996 के लिए क्लॉज सैक्शन 4 की स्वीकृति स्पष्ट है। अभी पंचायती राज एक्ट में स्पष्ट नहीं है। जिस पंचायत में आदिवासियों की संख्या शून्य है उस सीट को आरक्षित करना उचित किसी भी मामले में नहीं होगा। हमारा आग्रह है कि पदमश्री से सम्मानित राज्य सभा सांसद मुंडा जी और अन्य बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिला और एक ज्ञापन दिया जिसमें लिखा गया कि 44,374 करोड़ रुपए के समायोजन के लिए आवश्यक कदम उठाने का मामला है और इसकी निपक्ष जांच कराई जाए। यह अखबार और मीडिया में भी आया। महामहिम राज्यपाल ने यह कहते हुए ज्ञापन लौटा दिया कि फिलहाल सरकार के पास इस काम को करने के लिए समय नहीं है। वर्तमान में वरिष्ठ सांसद

Comment: Ctd by o2

Comment: Sh Ravinder Kr cd

और पूर्व महालेखाकार और शीर्ष बुद्धिजीवी वर्ग की मांग को दरकिनार किया गया तो आम आदमी की क्या बात कही जाए। हमने पहले भी झारखंड के पूर्वी भाग बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया कि जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए डीडीसी सचिव, प्रमुख के लिए बीडीओ सचिव हैं। इन्हें दर्जनों अधिकार दिए गए हैं लेकिन यह मात्र दिखावा है। प्रमुख और अध्यक्ष को स्टेशनरी और मूल सुविधा के लिए पूछा जाता है, डीडीसी और बीडीओ पर आश्रित रहना पड़ता है। प्रखंड प्रमुखों को स्टाफ और सुरक्षा उपलब्ध नहीं है लेकिन संविधान और कानून में प्रखंड प्रमुख का दर्जा दिया गया है। कोई अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों के निर्देश या सलाह को मानने के लिए तैयार भी नहीं है। अतः इस विधेयक में यह प्रावधान हो कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख पदों और पदों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को कानून संबद्ध अधिकार प्राप्त हों और अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदार हों, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व संग्रह और अन्य विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। आज यह विधेयक राष्ट्रपति शासन में केंद्र और राज्य सरकार, दोनों के बीच में है इसलिए झारखंड की पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाए। मेरा आग्रह है कि वहां अविलंब पंचायत चुनाव हों जिससे आम जनता को लाभ मिल सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। (इति)

(p2/1600/vp/bks)

MR. CHAIRMAN (SHRI ARJUN CHARAN SETHI): All right. The discussion under Rule 193 will be taken up at 4.30 p.m. This Bill will be passed within half-an-hour. So, we may continue to discuss this.

Shri Vijay Bahadur Singh.

1600 बजे

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदय, मुझे यहां से बोलने की परमीशन दी जाए। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं हाउस के सामने बहुत अहम् मुद्दा रखना चाहता हूँ। जहां तक यह एक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी ने यह नहीं समझा कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 243 में पंचायते क्यों कांस्टीट्यूट हुईं? What is the reason of constitution of Panchayat elections and enshrining it in the Constitution? I will add only a line to that; then the whole thing would be clear. Article 243 (d) says:

“Panchayat means an institution which is known as the self-Government so that the democracy should take birth at the panchayat level.”

This is article 243 (d). I may be permitted to read article 243 (a), which is chapter 9 of the Constitution. I quote:

“Gram Sabha may exercise such powers, perform such functions at the village level as the legislature of a State. These panchayats are mini or a micro level, State legislature in the villages.”

If that is the spirit of the Act, then this is nowhere near that. पंचायत में बाहर से सब आ जाता है और प्रधान उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है। अभी क्या हुआ, मनरेगा में एक स्कीम आई कि जो तालाब हैं, उन पर पांच-पांच फीट की बाउंड्री बनाई जाए और कहते हैं कि यह सुन्दरीकरण है। लेकिन कोई भी प्रधान उसके लिए राजी नहीं था और जितने सूखे तालाब थे, उनमें चार इंच पानी भी नहीं था,

1602 बजे

(श्री फ्रांसिस्को कोज़मी सारदीना पीठासीन हुए)

लेकिन पांच-पांच फीट लम्बी-चौड़ी बाउंड्री बना दी गई। हम कहना चाहते हैं कि अगर आप डेमोक्रेसी को विलेज लैवल पर लेना चाहते हैं, जो आर्टिकल 243डी और आर्टिकल 243 ऑफ दि कांस्टीट्यूशन में लिखा है तो फिर डैवलपमेंट कैसे होगा, चूंकि पंचायतों को अधिकार नहीं है। Otherwise, the panchayat and the pradhan are unpaid, unremunerative employees of the Government; that is not the spirit. इस एक्ट में जो 50 परसेंट रिजर्वेशन वगैरह है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, जैसे मैंने माननीय बंसल साहब को प्रोमिस किया था, I will conclude in less than two minutes. I want to say that please once again see article 243 (d) and article 243 (a) of the Constitution. Panchayat is the self-Government at the village level. यह एक्ट में कहीं नहीं है। पंचायत का जो विलेज प्रधान है, He is not free. वहां से पैसा आता है कि इसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। They are unpaid and unremunerative, honorary employees of the State. इस पंचायत एक्ट से डेमोक्रेसी का डैवलपमेंट नहीं हो रहा है, यही मैं कहना चाहता हूं, अदरवाइज मैं बिल को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1604 बजे

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे झारखंड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की थी और उसे मूर्त रूप में अगर किसी ने लागू किया तो माननीय राजीव गांधी जी ने किया। चूंकि यह झारखंड के बारे में है तो इसमें मूलभूत बात यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी एवं महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। जब पंचायती राज एक्ट बना तो मुझे बेहद खुशी है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो आरक्षण लागू हुआ, उसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने लागू किया था। लेकिन जहां तक देखा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था देश के और गांवों के विकास की असली जड़ है। विकास की मूलभूत कड़ी यहीं से शुरू होती है। यहां पर यदि इन तबकों को अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो मेरे ख्याल से महात्मा गांधी जी की जो परिकल्पना थी, वह मूर्त रूप में पूर्ण नहीं हो पायेगी।

Comment: (cd. by q2)

Comment: Sh. Dhailendra Kumar cd.

(q2/1605/skb-rk)

हम लोग महिला आरक्षण विधेयक की बात करते हैं कि यहां बिल लाया जाये और उनके लिये 50 प्रतिशत आरक्षण किया जाये। अभी संविधान संशोधन विधेयक आया था कि जितने भी हमारे टाऊन ऐरियाज हैं, उनमें 50 प्रतिशत महिलाओं के लिये स्थान आरक्षित किये जायें और हमने उस विधेयक को पारित कर दिया। लेकिन जहां ग्राम सभा का प्रधान है, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, ब्लाक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनके अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ओबीसी में महिलाओं को आरक्षण मिल जाता है तो मेरे ख्याल से समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को उसमें भागीदारी मिल जाती है। यहां पर महिलायें बैठी हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे देश की सब से बड़ी पंचायत में बैठकर महिलाओं के बारे में देख रही हैं, सुन रही हैं कि माननीय सदस्य उनके बारे में कितने चिन्तित हैं?

सभापति महोदय, झारखंड के बारे में यह विधेयक आया है। वहां पर राजनैतिक उथल-पुथल है और विधानसभा को भंग न करके सर्पेंशन में रखा गया है। अगर किसी दल का बहुमत हो तो वह सरकार बना सकता है। झारखंड में प्राकृतिक सम्पदा है। अगर वहां पंचायती राज लागू करके आरक्षण दिया जाये तो मेरे ख्याल से वहां जो नक्सलवाद बढ़ा है, उस पर अंकुश लग सकता है और राज्य का विकास हो सकता है। जो बेरोजगार नवयुवक हैं, जो हथियार उठाने के लिये मजबूर हुये हैं, अगर उनको रोजगार मिल जायेगा तो राज्य में अमन-चैन और शान्ति कायम हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

(इति)

1607 बजे

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वह यह बिल लेकर आये हैं। यह राज्य 2000 में बना जहां पंचायती राज लागू नहीं था जोकि जरूरी था। हम जानते हैं कि प.बंगाल में जब सरकार आयी थी तो पंचायती राज 3-टीयर में लागू हुआ था। अभी माननीय सदस्यों ने भी बताया कि ग्राम स्तर पर कार्य पंचायतों के माध्यम से होता है। जहां तक झारखंड राज्य का सवाल है, वहां जितना विकास होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ है। सरकार की जितनी विकास स्कीमें थीं, उनके अंदर कुछ डेवलेपमेंट नहीं हो पा रहा है। माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि झारखंड में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिये। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है कि वहां के लोगों को सभी सुविधायें दिलाये। अभी सप्लीमेंटरी बजट में बताया गया था कि झारखंड के लिये 1242.71 करोड़ रुपया दिया गया है। यह नाकाफी है। वहां के जो हालात हैं, वहां पीने के पानी की सुविधा नहीं, टायलेट नहीं है और पीडीएस की ठीक व्यवस्था नहीं है। वहां सब सुविधायें ग्रामीण लोगों को दी जाये।

धन्यवाद।

(इति)

1609 बजे

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्त में और संविधान की धारा 243 में पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान है।

(r2/1610/cs-rc)

महोदय, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था बढ़ेगी, तभी नक्सली घटेंगे। पंचायती राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी ने यह ऐलान किया है। झारखंड राज्य, जिसका यह विधेयक आया है, संयोग से वहां राष्ट्रपति शासन है, इसीलिए वह विधेयक यहां आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल महीने में कहा था कि तीन महीने में चुनाव कराओ। सरकार ने जून में चुनाव कराने का फैसला लिया था। अब वह सरकार रही नहीं, अब यह केंद्र सरकार के हाथ में आ गया है।

महोदय, ये जो बिल लाये हैं, इसे पास किया जाये, लेकिन मेरा पहला सवाल यह है कि पंचायत राज का चुनाव कब तक होगा? श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय जी भाषण कर रहे हैं कि 35 वर्ष हो गये हैं। बिहार वर्ष 2000 में बंटा झारखंड का हिस्सा अलग हुआ, तब से बिहार में दो बार चुनाव हो गये हैं और वहां एक बार भी चुनाव नहीं हुआ है। केस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी दौड़ा-दौड़ी लगी हुई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। हम स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं कि जब जून, मानसून में चुनाव कराने का संकल्प था, लेकिन अब मानसून में यह बिल पास होने के लिए आया है। कब तक चुनाव हो जायेगा, यह मेरा सवाल नम्बर एक है।

महोदय, सवाल नम्बर दो यह है कि दशम वित्त आयोग का पैसा श्री यशवंत सिन्हा ने रोका। पंचायती राज का दशम वित्त आयोग, 11वां वित्त आयोग, 12वां वित्त आयोग, दशम वित्त आयोग में वर्ष 1995-96 में, अभी के प्रधानमंत्री जी तब वित्त मंत्री थे, श्री नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, उस समय बिहार को हिस्सा मिला, जब बिहार बंटा तो झारखंड को भी हिस्सा मिला। वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 में यशवंत सिन्हा जी रहे, वर्ष 2000-2001 में श्री जसवंत सिंह आये।...(व्यवधान) जसवंत सिंह ने कहा कि नहीं हिस्सा...(व्यवधान) आप सुन लीजिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): आप यशवंत सिन्हा का नाम ले रहे हैं।...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): झारखंड की हिस्सेदारी किसने की...(व्यवधान) कौन वित्त मंत्री था?...(व्यवधान)

Comment: cd. by r2

Comment: Raghuvansh pr. Contd.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): वहां पंचायत थी ही नहीं।...(व्यवधान) हम लोग एनडीए सरकार में आये तो वहां चुनाव हुए।...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): श्री यशवंत सिन्हा थे तो पंचायत नहीं थीं और जसवंत सिंह थे तो पंचायत आ गयी।...(व्यवधान) आप जानकारी कर लीजिये।...(व्यवधान) 15 वर्षों के पैसे का, झारखंड राज्य का 1500 करोड़, दशम वित्त आयोग, 11वां वित्त आयोग, 12वां वित्त आयोग, बिहार का 1500 करोड़ का देनदार कौन होगा? झारखंड की हिस्सेमारी हुई, उनका भुगतान कब तक होगा? यह सवाल नम्बर दो है।...(व्यवधान) चुनाव कब तक होगा, उसके बकाये पैसे 1500 करोड़ का कब तक भुगतान होगा? 10वां वित्त आयोग, 11वां वित्त आयोग, 12वां वित्त आयोग, हिस्सेमारी करने वाले लोग उधर हैं। इन लोगों ने रोका, हमने सवाल उठाया था। श्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि आप छह बार सवाल उठा चुके हैं। हमने कहा था कि छह बार नहीं जब तक हिस्सेमारी होगी, तब तक मैं सवाल उठाता रहूंगा। पैसा नहीं दिया गया। झारखंड, बिहार की हिस्सेमारी हुई।...(व्यवधान)

महोदय, यह विधेयक जो आया है।...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): आप उन लोगों के लिए बोलिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हम उन्हें ही बोल रहे हैं। 1500 करोड़ रुपये तो उन्हें ही देना पड़ेगा। अब आप लोग तो हैं नहीं, अब तो उन्हें ही देना पड़ेगा।

महोदय, संविधान की धारा 243 में ग्राम सभा का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि जब तक जनभागीदारी नहीं होगी, तब तक नक्सलवाद कैसे खत्म होगा, कैसे कम होगा। इसलिए हम सवाल नम्बर तीन में मंत्री जी से स्पेसिफिक जानना चाहते हैं कि जैसे लोक सभा की बैठकें होती हैं। उसका निर्धारण है मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र आदि, उसे कोई चुरा छिपा नहीं सकता, जिस तरह से विधान सभा की बैठकें होती हैं, उसी तरह से ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य रूप से हो और उसमें भागीदारी हो। उसमें सारे निर्णय हो। केवल रोजगार गारंटी कहते रहते हैं, यह फेल हो है, यह लूट है।

(s2/1615/mm/snb)

अगर ग्राम सभा की बैठकें होंगी, तो सभी कुछ आइने की तरह साफ हो जाएगा। जैसे यहां माननीय सदस्य सदन में आते हैं, वैसे ही उन बैठकों में भी ग्राम सभा के सदस्य आया करेंगे। वहां ग्राम सभा की बैठकें नहीं होती हैं, इसीलिए भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन्हें लागू करने में राज्य सरकार विफल हो जाती है। मेरा सवाल नम्बर तीन कि जैसे लोक सभा की बैठकें होती हैं, विधान सभा की बैठकें होती हैं, उसी तरह से ग्राम सभा की बैठकें भी होनी चाहिए। ग्राम सभा केवल झारखंड के लिए नहीं है। लोक सभा,

Comment: Contd. By s2

Comment: Cd Singh



विधान सभा की तरह ग्राम सभा को भी उतना ही अधिकार होना चाहिए, उतनी ही बैठक की अनिवार्यता होनी चाहिए। अगर ऐसी देश में व्यवस्था हो जाए, तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। ग्राम सभा की बैठकें केवल कागजों में नहीं, धोखाधड़ी नहीं, जाली नहीं होनी चाहिए। अगर अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठकें हो जाएं, तो लाख दुखों की एक दवा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। महात्मा गांधी, राजीव गांधी का सपना, यशवंत मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एल.एन. सिंघवी कमेटी और दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, जितनी कमेटियां हैं, इनमें पंचायती राज की विकेंद्रित व्यवस्था का सवाल है। लेकिन यह ग्राम सभा के बिना नहीं हो सकता है, लोक सभा, विधान सभा, ग्राम सभा। भारत की संविधान की अनु. 243 में ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। उसकी बैठक अनिवार्य रूप से हो। रोजगार गारण्टी के सभी डिसक्लोजर किए जाएं। लेकिन वहां पंचायती राज नहीं हुआ है। मेरा चौथा सवाल है...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: There is no time. You may please wind up.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वेशाली): झारखण्ड के 24 जिले, इसी शेड्यूल एरिया में हैं। इन एरियाज़ में पंचायती राज का क्या होगा? हमारा स्पैसिफिक सवाल है कि जहां ट्राइबल आबादी ज्यादा है, ऐसे 13 ट्राइबल एरियाज़ हैं। पेसा का क्या होगा?... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN (SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA): This is your last question.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वेशाली): अंत में, देश भर में 34 लाख चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे आज सदस्य हैं। पंचायती राज के मुखिया सरपंच हैं, वे ग्राम प्रधान हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, सब लोग जब जुटते हैं तो कहते हैं कि एमएलए और एमपी साहब के वेतन पर हल्ला उठा है कि वेतना बढ़ाना है। यहां यह बात उठी भी है। मैं उन 34 लाख चुने हुए प्रतिनिधियों के वेतनभत्तों का सवाल उठाना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पंचायती राज एक्ट, ग्राम स्वराज एक्ट, डा. लोहिया चौखम्भाराज और बाबू जय प्रकाश नारायण का सपना कि चुने हुए प्रतिनिधि जो कि 34 लाख हैं, उनके वेतनभत्तों पर उपाय किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए, तभी पंचायती राज व्यवस्था सशक्त होगी, गांधी जी का सपना और प्रधानमंत्री जी का सपना तभी साकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

* SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon. Chairman Sir, if we want to expand and spread democracy, the people of this country must be entrusted with more power. In order to empower the people, we need to strengthen the Panchayati Raj system. There is provision of a three tier Panchayat but even after so many years, the State of Jharkhand could not hold panchayat elections. The two major political parties, BJP and Congress had the responsibility to conduct elections but they did not perform their duties well. There was another major problem that plagued the state from time to time – no government could continue for a long period due to horse trading and frequent interruptions. Ministers were changed, the party in power was toppled and the government ceased to function properly. Therefore regular panchayat elections could not be held in Jharkhand.

Now we have the opportunity. This is the time when election can be conducted and the people of the SC/ST communities, downtrodden, backward people can be empowered; can be given their due. So much more is required in this State. Poor people are suffering, they are exploited as a result of which Naxalism is spreading its tentacles. The common man is confused. He does not know what to do, he does not know how to have two square meals a day. This impacts the policies of the central government. The tenth and the eleventh Finance Commission have allocated enough funds for the development of the underdeveloped, tribal areas but the money is not being spent in the right direction. Jharkhand is a state rich in minerals and forest products. But the huge natural resources are being looted and plundered. This is happening because the administration has become entirely dependent on the bureaucracy which actually dictates terms. In these areas, the tenets of democracy are almost absent so the bureaucrats are having a free hand. Their power must be curbed and the poor,

* Original in Bengali.

helpless people must be given the right to shape their own destiny. This is the time, this is the moment – we should all unanimously decide to hold Panchayat elections in Jharkhand as we all know that its ‘ better late than never’.

Therefore, Sir, we must grab this opportunity and pass this Bill so that democracy can be strengthened in the state of Jharkhand and decentralization of power can be brought about. With these few words, I thank you for allowing me to participate in this discussion and conclude my speech.

(ends)

(t2/1620/ru-sb)

1622 hours

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Mr. Chairman Sir, I support the Bill moved hon. Minister, Shri C.P. Joshi. The contents of the Bill are well known to us and hon. Members have also deliberated upon the necessity of having this amendment and passing this Bill.

It is no doubt a fact that panchayat elections could not be held there due to various litigations pending in courts of law. It was pending not only in the High Court of Jharkhand but also in the Supreme Court of India. It was pending and hence elections could not held. However, hon. Minister has brought the amending Bill here and there is no doubt that it will be passed very soon. But I would like to appeal to the hon. Minister that, having passed this Bill, as soon as possible, elections should be held in the State. At present, we are having Governor's rule there and hence the hon. Minister has brought this Bill to the House. He should take all precautions to hold elections as soon as possible because for the last 32 years, we have not had panchayat elections there. There are reasons for it as has been mentioned in the Statement of Objects and Reasons. There are different reasons for not holding elections. However, the hon. Minister has got an opportunity for it and the House will certainly approve this Bill very soon.

So, on behalf of my Party, I only appeal that the Government should see that elections are held as soon as possible. Similarly, it has been pointed out by the hon. Member, who was the Minister for Rural Development. But unfortunately, Panchayat Raj Department was not under him. He is a very learned man. Every time when he speaks on any Bill, he speaks a lot having vast experience at his disposal. However, it has to be seen as to how the recommendations of the 11th, 12th and 13th Commissions can be implemented. Where have the funds gone? This point should be addressed by the hon. Minister when he would reply to the debate. If he is unable to reply straightaway, he should inform the House later on.

With these words, I support the Bill and I once again thank him that he has brought the Bill. He should see to it that elections are being held as soon as possible.

(ends)

1624 बजे

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी.जोशी): माननीय सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूँ कि आप सब ने पंचायत राज को सशक्तिकरण करने के संबंध में कहा। यह बात सही है कि कांस्टीट्यूशन के पार्ट नौ में पंचायत को मजबूत करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। सन् 1996 में पेसा एक्ट लागू किया गया और उसमें स्टेट्स को यह सब्जेक्ट दे दिया गया। अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि कांस्टीट्यूशन में पंचायत स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट्स से यह एक्सपेक्ट किया गया था कि स्टेट पावर को डिवाल्व करेगी, लेकिन अनफोरचुनेटली जिन स्टेट्स को पार्टिकुलरली पेसा के संबंध में पावर डिवाल्व करना था, वह पावर डिवाल्व नहीं हो पाई और पंचायत राज को सशक्तिकरण करने की जो हमारी कल्पना है, वह साकार नहीं हो सकी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन-जिन सदस्यों की अलग-अलग प्रदेशों में अपनी पार्टी की सरकारें हैं, वहां पंचायत राज को मजबूत करने के लिए हमने जो 29 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, उन 29 सब्जेक्ट्स को उन पंचायतों को देने के संबंध में निर्णय करें।

(u2/1625/rpm/rbn)

महोदय, इस विषय में प्रदेशों को निर्णय करने का अधिकार है। इसमें केन्द्र सरकार केवल एडवाइस कर सकती है। मैं माननीय सदस्यों का इसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस बारे में सभी ने चिन्ता व्यक्त की और जो हमारे माननीय सदस्य प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चिन्ता व्यक्त की और कहा कि हमारे फाइनेंस कमीशन की जो रिक्मेंडेशन हैं, उनके मुताबिक उन स्टेट्स को पैसा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसमें प्री-रिक्वीजिट है, यानी यदि स्टेट्स में पंचायतें नहीं हैं, तो उनके लिए पैसा फाइनेंस कमीशन से नहीं दिया जा सकता है। इसलिए झारखंड में पंचायतें नहीं होने के कारण झारखंड को पैसा नहीं मिला, फिर चाहे वह नाइंथ, टैथ या इलैवंथ फाइनेंस कमीशन हो, उनका पैसा नहीं मिल सका।

महोदय, अब हम फॉर्चुनेट हैं कि थर्टीथ फाइनेंस कमीशन की रिक्मेंडेशन आ चुकी हैं। इस बिल के पारित होने के बाद झारखंड उस पैसे को प्राप्त करने के लिए एलीजीबल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यह सरकार इस बात के लिए कमिटेड है कि वहां जल्दी से जल्दी चुनाव हों। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, हम गवर्नर साहब से बात कर के यह कोशिश करेंगे कि वहां शीघ्र से शीघ्र चुनाव सम्पादित हों, ताकि जिन चुने हुए लोगों को अधिकार मिलना चाहिए वह उन्हें मिल सके।

महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे नेता श्री राजीव गांधी जी ने इस बात की एक शुरुआत की। उसी के कारण आज यह अवसर आया है कि पेसा एक्ट को ठीक ढंग से लागू करने के लिए गवर्नर रूल लागू होने के कारण, वहां उन्होंने चीफ सैक्रेट्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। मैं माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करूंगा कि हमें इस बात के लिए वे अपना समर्थन दें कि पेसा एक्ट के अन्तर्गत जो कानून हैं, उनके अन्तर्गत झारखंड राज्य में पंचायतों के जो कानून बन रहे हैं, वे पेसा एक्ट के अनुसार मॉडीफाई हो सकें। इससे जो हमारे मन में कल्पना है कि हम पेसा एक्ट के अन्तर्गत आने वाले आदमियों को सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर के उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें और जो लैफ्ट विंग एक्स्ट्रीम है, उसके कुछ इश्यूज को भी हम एड्रेस कर सकें। यह ऐसा अवसर है, जिसके अन्दर हम उन सभी का लाभ उठाने का काम करेंगे और सभी इश्यूज को हल करने का प्रयास करेंगे।

महोदय, मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि पंचायती राज को मजबूत करने की जिम्मेदारी प्रदेश की है। ग्राम पंचायतों में आज के दिन डैडीकेटेड स्टाफ नहीं है। 2 लाख 50 हजार पंचायतों में केवल एक-एक ग्राम सभा है। 76 हजार पंचायतघर नहीं हैं। यू.पी. जैसे प्रदेश में 50 हजार पंचायतें हैं और वहां केवल 8 हजार ग्राम सेवकों के पद हैं। यदि हम पंचायतीराज को सशक्त करना चाहते हैं, तो हमें नए सिरे से सरकारों को कहना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत लैवल पर डैडीकेटेड स्टाफ हो, जिसमें ग्राम सेवक हों। हम तो सोच रहे हैं कि ग्राम पंचायत लैवल पर एक पंचायत डैवलपमेंट ऑफिसर हो, जिसकी क्वालीफिकेशन एम.बी.ए. हो या एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट हो। ऐसे आदमी को पंचायत डैवलपमेंट का अधिकार देकर सत्ता के विकेन्द्रीकरण के काम को मजबूत करने का काम कर सकें।

महोदय, मुझे यह कहते हुए भी प्रसन्नता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत लगभग 40 हजार करोड़ रुपए का आउटले है। उसमें से हम फंड, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज के अन्तर्गत 6 परसेंट पैसा दे रहे हैं। माननीय सदस्य तालाब बनाने की जिस बात को कह रहे हैं, यह केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है। इसके लिए भारत सरकार कोई डायरेक्शन नहीं दे रही है। राज्य सरकारें इस तरह की डायरेक्शन दे रही हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस प्रकार की डायरेक्शन्स स्टेट गवर्नमेंट दे रही हैं। यदि ऐसा है तो भी ग्राम सभा को उसे रोकने का अधिकार है। हम चाहते हैं कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस हो। जैसी स्टेट हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वैसे ही थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस के आधार पर हम मजबूती के साथ उसे खड़ा करें, ताकि लोग उसमें अपनी भागीदारी निभा सकें और राजीव गांधी के सपने को हम साकार कर सकें।

मैं आप सभी से अपेक्षा करूंगा और कहूंगा कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण किए बिना, जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते, जनता की समस्याओं को एड्रेस नहीं कर सकते। इसलिए हम

सभी का धर्म बनता है कि हम चाहे, सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, कम से कम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि को इतनी मजबूती तो दें जिससे वह जनता की समस्याओं का निराकरण कर सके।

महोदय, मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए, पुनः माननीय सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बिल के संबंध में अपनी बात कही और उनकी भावनाओं के अनुरूप हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि झारखंड में पंचायतों के चुनाव हम शीघ्र ही कराएंगे। पंचायतीराज में जो पेसा के कानून हैं, उन्हें मॉडीफाई करने के संबंध में भी हम गवर्नर साहब से निवेदन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब से आशा करता हूँ कि इस बिल को पास करने के लिए अपना समर्थन दें।

(इति)

1629 बजे

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, झारखंड शिवजी के त्रिशूल पर खड़ा है। सभी जगह डी-लिमिटेशन हो गया। झारखंड में डी-लिमिटेशन नहीं हो सका, क्योंकि आदिवासियों की साटें घट रही हैं और पूरे देश ने उस सेंटिमेंट को माना। अभी आपने अपने बयान में खुद कहा कि वहां पंचायत का चुनाव हाइकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के कारण नहीं हुआ। सरकार वहां वर्ष 2001 में पंचायत का चुनाव कराना चाहती थी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से केवल एक स्पेसिफिक सवाल यह है कि “लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई” उन गरीबों ने, उन पिछड़ों ने क्या किया है, जब जागो, तभी सबेरा? आज आपके पास मौका है। कोर्ट के कारण वहां चुनाव नहीं हुए हैं। जो इलेक्शन और ट्वैल्थ फाइनेंस कमीशन ने किया, जिसके बारे में डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, मैं उससे टोटली डिस-एग्री करता हूं।

[|\(w2/1630/mkg/tkd\)|](#)

यदि आप पंचायत का चुनाव नहीं कराएंगे तो कोई सरकार आपको पैसा नहीं दे सकती, लेकिन अगर वहां पंचायत के चुनाव नहीं हुए तो पंचायत के चुनाव कोर्ट के आदेश के कारण नहीं हुए। मंत्री जी, यह आपको पता है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं कि 11वें फाइनेंस कमीशन और 12वें फाइनेंस कमीशन का जो पैसा कोर्ट के कारण, चुनाव नहीं होने के कारण रुका हुआ है, क्या सरकार उस पैसे को देगी, जिसके कारण दलित, पिछड़े, आदिवासी की बात जो हम करते हैं, उनको न्याय मिल पाये? इसके बारे में सरकार का क्या रुख है?

डॉ. सी.पी.जोशी: माननीय सभापति महोदय, बजट पास होना, बजट का रीकन्सिलिएशन होना एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को मैं बदल नहीं सकता, इसलिए जो बजट का प्रोविजन होता है, उस साल के अन्त में बजट का सारा रीकन्सिलिएशन होता है, सी.ए.जी. उसको रिपोर्ट करती है, इसलिए उस सम्बन्ध में मैं नहीं कह सकता। 13वें फाइनेंस कमीशन के सम्बन्ध में पहली किश्त रिलीज़ हो गई है। हम जल्दी से जल्दी वहां चुनाव कराएंगे, जिससे 13वें फाइनेंस कमीशन का पूरा का पूरा पैसा झारखण्ड को मिले। इस सम्बन्ध में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। बाकी खुद आपकी पार्टी के सदस्य मंत्री रहे हैं, मैं पास्ट के बारे में नहीं कह सकता, जिसमें बजट के अन्दर रीकन्सिलिएशन होता है, उसका पैसा नॉन लैप्सीबल एमाउंट नहीं है, इसलिए उस पैसे का रीकन्सिलिएशन हो गया। उसके सम्बन्ध में मैं कमिटमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं।...(व्यवधान) चुनाव के बारे में मैंने कहा है कि चुनाव शीघ्र ही करवाएंगे।...(व्यवधान) वह लम्बा नहीं होगा।

Comment: (Cd. by w2)

Comment: (Cd. by Dr. C.P. Joshi)

Comment: shri nishikant dubey cd.

जो आपकी चिन्ता है, आप बिल्कुल निश्चित रहिये। चुनाव हम बहुत शीघ्र करवाएंगे और चुनाव के सम्बन्ध में गवर्नर साहब से बात करके हम निश्चित तौर पर तिथि निर्धारित करेंगे। (इति)

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार): जो पंचायतें हैं, झारखण्ड में आप पंचायत के चुनाव तो करा देंगे, लेकिन महाराष्ट्र में एक सवाल ऐसा खड़ा हुआ है कि जो पंचायत का विभाजन हो रहा है, वह पंचायत फ़ैबिली सप्लाइड एरिया में है तो जो नवीन विभाजन हो रहा है, वह ग्राम पंचायत को नॉन ट्राइबल में डाल देते हैं, जबकि वह ट्राइबल का ही एरिया है तो ट्राइबल में अगर पंचायत का विभाजन होता है तो ट्राइबल में ही होना चाहिए, उसे ट्राइबल में ही आना चाहिए, यह मेरा सजेशन है।

MR. CHAIRMAN (SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA): The question is:

“That the Bill further to amend the Jharkhand Panchayati Raj Act, 2001, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 10 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

DR. C.P. JOSHI: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MR. CHAIRMAN: the question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.